भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 376

दिनांक 21 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

ई-पंचायत पहल

†376. श्री अ. मनिः

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तमिलनाडु में ग्राम पंचायतों के विकास के लिए सरकार द्वारा आवंटित और जारी की गई निधि का ब्यौरा क्या है और धर्मापुरी जिले को कितनी धनराशि आवंटित की गई है;
(ख) धर्मापुरी जिले में ई-पंचायत पहल और अन्य डिजिटल इंडिया कार्यक्रमों के अंतर्गत कितनी ग्राम पंचायतों का कम्प्यूटरीकरण किया गया है और उपलब्ध कराई गई डिजिटल अवसंरचना, ब्रॉडबैंड सम्पर्क और ई-गवर्नेंस सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;
(ग) धर्मापुरी जिले में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं और कितनी ग्राम पंचायतें पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत हैं और ऑनलाइन नागरिक सेवाएं प्रदान कर रही हैं; और
(घ) धर्मापुरी जिले में ग्राम पंचायतों के 100 प्रतिशत डिजिटलीकरण को प्राप्त करने और पारदर्शी, कुशल तथा प्रौद्योगिकी समर्थित ग्रामीण शासन को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री
(**श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह**)

(क) पंचायत, "स्थानीय स्व-शासन" होने के नाते, राज्य का विषय है। इसलिए, पंचायतों के विकास सहित सभी मामले राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। पंचायती राज मंत्रालय राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग और सहायता

करता है जिसमें पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को मज़बूत बनाना और उनके कुशल कामकाज के लिए योजनाओं के तहत निरंतर आधार पर निधि उपलब्ध कराना भी शामिल है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान (एफएफसी) के तहत तमिलनाडु में पंचायतों के विकास के लिए आवंटित/जारी की गई केंद्रीय निधियों का विवरण निम्नानुसार है:

(रुपये करोड़ में)

विवरण	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**कुल**
तमिलनाडु (जीपी) को कुल आवंटन	2132.80	2208.80	2232.80	2365.60	**8940.00**
धर्मापुरी जिले में ग्राम पंचायतों को आवंटन	66.31	69.93	71.97	76.25	**284.46**

(स्रोत: तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

(ख) से (घ) तमिलनाडु राज्य सरकार ने सूचित किया है कि धर्मापुरी जिले में सभी 249 ग्राम पंचायतों का कंप्यूटरीकरण किया गया है; सभी पंचायतों में डिजिटल बुनियादी सुविधाओं, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और ई-गवर्नेंस सुविधाओं के साथ कंप्यूटर लगाए गए हैं। धर्मापुरी जिले में सभी पंचायतों को भारतनेट/टैंफिनेट (Bharatnet/Tanfinet) कनेक्शन प्रदान किया गया है। इसके अलावा, ये पंचायतें इन माध्यमों से आम जनता को सेवाएँ दे रही हैं:

- **वीपी कर पोर्टल (ग्राम पंचायत कर)** - संपत्ति कर, पेशेवर कर, जल शुल्क, व्यापार अनुज्ञप्ति शुल्क आदि का भुगतान करना।
- **टीएनपीएएसएस (तमिलनाडु पंचायत लेखांकन सरलीकृत प्रणाली) -** ग्राम पंचायतों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए वेतन एवं पंचायत खातों और भुगतान का रखरखाव करना।
- **ऑनलाइन पीपीए (ऑनलाइन योजना अनुमति अनुमोदन) पोर्टल -** स्व-प्रमाणीकरण, 10,000 वर्ग फुट से कम या 10000 वर्ग फुट से अधिक के लिए नक्शे का अनुमोदन, आदि जैसे भवन निर्माण अनुमति प्राप्त करना।
